कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
भदभदा रोड–भोपाल

क्रमांक/मप्रपुहाका/स्थापना–1//1328 /2017 भोपाल दिनांक 31/07/2018

आ दे श

मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) के ज्ञाप क्रमांक 908/134/11/बी–3/दो दिनांक 3.6.2011 के द्वारा पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में अतिरिक्त यांत्रिकीय स्टाफ की संविदा नियुक्ति हेतु प्रदत्त अनुमति के परिप्रेक्ष्य में संविदा उपयंत्री (सिविल) की चयन समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा चयन सूची के अभ्यार्थियों को प्रथमतः 18 माह की संविदा में, उनके द्वारा प्रस्तुत स्वेच्छिक अनुबंध एवम् कार्य करने की सहमति के आधार पर, संभागों के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्य के वास्तविक टर्न ओव्हर के 6% पर्यवेक्षण प्रभार की सीमान्तर्गत, निश्चित मानदेय/पारिश्रमिक रू.28000/–(अट्ठाईस हजार) प्रतिमाह, भुगतान की शर्त पर, अस्थाई रूप, संविदा उपयंत्री (सिविल) के संविदा कार्य हेतु समक्ष में दर्शित कार्यस्थल पर अग्रिम आदेश पर्यन्त संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

संविदा नियुक्ति पर यदि अभ्यार्थी यदि एक सप्ताह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र/जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र/निर्धारित प्रारूप में चरित्र सत्यापन अनुप्रमाणन फार्म प्रस्तुत कर प्रभार ग्रहण नही किया जाता, उस स्थिति में यह संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी :–

सक्र	नाम एवम् पता	प्रतीक्षा प्रवीण्यता सूची	पद	पदस्थापना
01	श्री देवप्रताप सिंह पिता श्री तेजवीर सिंह, हाउस नं0 215 मडरपुर रोड बलभद्र स्कूल के पास गोविन्दनगर, भरतपुर, राजस्थान पिन कोड 321001	अना0 01	संविदा उपयंत्री सिविल	परियोजना संभाग–बालाघाट
02	श्री राकेश कुमार झा पिता श्री नरेश कुमार झा, First Bn. TSR Gokulnagar, Agartala Tripura (West) 116/3 First Floor Gautam Nagar New Delhi Pini Code No. 474401	अना0 02	संविदा उपयंत्री सिविल	परियोजना संभाग–बालाघाट
03	श्री मिथलेश कुशवाह पिता श्री रामबहादुर कुशवाह, हाउस नं.171 नया बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल, पिन कोड 462003	अना0 03	संविदा उपयंत्री सिविल	परियोजना संभाग–इन्दौर क्रमाक 01
04	श्री वरूण जैन पिता श्री अशोक कुमार जैन, SATHE KI GOTH, DANA OLI, LASHKAR GWALIOR M.P. PIN CODE 474001.	अना0 04	संविदा उपयंत्री सिविल	परियोजना संभाग–जबलपुर क्रमाक 01

संविदा नियुक्ति की शर्ते

01. संविदा नियुक्ति का व्ययभार निर्धारित पर्यवेक्षण प्रभार 6% की सीमान्तर्गत ही भारित होगा।

02. चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण में संविदा नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

03. संविदा उपयंत्री (सिविल) अपना सम्पूर्ण समय कार्पोरेशन के कार्यो के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान होकर लगाने के लिए कृत्संकल्पित रहेगा। किसी व्यापार, कारोबार व अन्य जीविका के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संलग्न नही रहेगा और प्रबंधन से बिना पूर्व अनुज्ञा/अनुमति प्राप्त किए (दुर्घटना के सिवाय) सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नही रहेगा।

04. संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अनुबंध अनुसार कम से कम 18 माह तक संविदा नियुक्ति पर कार्य करना बंधनकारी रहेगा। इसके पूर्व में त्याग पत्र देने की स्थिति में कम से कम एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह के मानदेय के बराबर की राशि जमा करने पर संविदा का त्याग किया जा सकेगा । ऐसा न करने पर उक्त अवधि के मानदेय/पारिश्रमिक के बराबर की राशि भू–राजस्व की बकाया की भंति वसूली योग्य होगी।

31.7.18

Scanned by CamScanner

04. संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अनुबंध अनुसार कम से कम 18 माह तक संविदा नियुक्ति पर कार्य करना बंधनकारी रहेगा। इसके पूर्व में त्याग पत्र देने की स्थिति में कम से कम एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह के मानदेय के बराबर की राशि जमा करने पर संविदा का त्याग किया जा सकेगा । ऐसा न करने पर उक्त अवधि के मानदेय/पारिश्रमिक के बराबर की राशि भू–राजस्व की बकाया की भंति वसूली योग्य होगी।

05. संविदा उपयंत्री (सिविल) को उसके कार्यस्थल से आवश्यकतानुसार अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है एवं कार्यस्थल के मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य रूप से बंधनकारी रहेगा।

06. संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अवधि के दौरान पारिश्रमिक की राशि र 28000 (अठाईस हजार मात्र) एकमुश्त भुगतान किया जावेगा। संविदा पद में नियमितीकरण/स्थाईकरण तथा पेंशन उपादान आदि की पात्रता नही होगी और न ही ऐसी किसी प्रकार की मॉग मान्य ही जावेगी ।

06.कर्तव्य के दौरान कार्पोरेशन के हित मे यात्रा करने के लिए शासन के नियमों के अनुरूप न्यूनतम दर पर वास्तविक यात्रा का व्यय प्रतिपूर्ति कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।संविदा उपयंत्री (सिविल) कलेण्डर वर्ष मे 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी किन्तु किसी अन्य प्रकार के अवकाश की मॉग न तो संविदा उपयंत्री (सिविल) द्वारा की जाएगी और न ही कार्पोरेशन देने के लिए बाध्य होगा।

07. संविदा उपयंत्री (सिविल को संविदा अवधि में शासन के कर्मचारियों की भाति अनुशासित रहकर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करना होगा एवं म0प्र0सि0से0आचरण/वर्क मैनुअल एवं कार्पोरेशन मैनुअल मे वर्णित नियमों का पालन करना बंधनकारी होगा किन्तु इस आधार पर स्थाई नियोजन की पात्रता नही होगी और न ही ऐसी मॉग वैधानिक रूप से स्वीकार्य की जावेगी।

08. संविदा उपयंत्री (सिविल) को किसी प्रकार के अग्रिम की पात्रता नही होगी ।

09. नियमित नियुक्ति एवं पदस्थापना का दावा मान्य नही होगा।

10. संविदा उपयंत्री (विद्युत) द्वारा कार्पोरेशन को जान बूझकर पहुचाई गई क्षति की वसूली करने के लिए कार्पोरेशन भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली करने के लिए अधिकृत रहेगा ।

11. उभय पक्ष मे से किसी एक पक्ष द्वारा संविदा भंग करने की स्थिति में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह के पारिश्रमिक के बराबर की राशि एकमुश्त जमा/भुगतान करने पर सविदा भंग की जा सकगी एवं ऐसा न करने पर भू–राजस्व की बकाया की भांति यह राशि वसूली योग्य होगी किन्तु यदि अभ्यार्थी के द्वारा संविदा नियुक्ति की शर्तो के विपरीत कोई कदाचरण प्रदर्शित किया जाता है तो उसे एक माह की अग्रिम सूचना दी जाकर प्रबंधन द्वारा संविदा निरस्त की जा सकेगी।

31.7.18

(संजय राणा)
बि.पु.म./प्रबंध संचालक
म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/मप्रपुआ अविनि/स्थापना–1/1328/2017 **दिनांक 31/07/2018**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) मुख्य परियोजना यंत्री मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम भोपाल ।
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री एवं प्रभारी अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम भोपाल।
(3) वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम भोपाल।
(4) समस्त परियोजना यंत्री मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम की ओर सूचनार्थ।
(5) कार्यालय अधीक्षक, वास्ते आदेश पंजी।
(6) निज सचिव/निस सहायक/तकनीकी शाखा/स्थापना शाखा/लेखा शाखा ।
(7) आदेश पंजी।
(8) सर्व संबंधी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।15 दिवस के अन्दर नव नियुक्त संभाग में प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जावे। समयावधि के अन्दर प्रभार ग्रहण न करने पर संविदा नियुक्तिआदेश निरस्त किया जाकर प्रवीण्यता सूची से नाम पृथक कर दिया जावेगा।

31.7.18

(संजय राणा)
बि.पु.म./प्रबंध संचालक
म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
भोपाल

Scanned by CamScanner